



2026:AHC:37098

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट-ए-संख्या- 2472/2026

नमिता चौधरी

.....याचिकाकर्ता (ओं)

बनाम

यूपी राज्य और 6 अन्य

.....प्रतिवादी (ओ)

याचिकाकर्ता (ओ) के अधिवक्ता

: अरविंद श्रीवास्तव द्वितीय, प्रतीक कुमार

प्रतिवादी (ओं) के अधिवक्ता

: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय सं.- 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अरविंद श्रीवास्तव तृतीय और राज्य-प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत हुए विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री मनीष कुमार को सुना।
2. रिट याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उसे प्रारम्भ में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग में आपूर्ति निरीक्षक के पद पर नियुक्त किया गया था। शहरी स्थानीय निकायों के निदेशक के अधीन कई रिक्तियों/पदों पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए आवेदन मांगने हेतु 2018 का विज्ञापन संख्या 03 जारी किया गया रिट याचिकाकर्ता ने उसमें आवेदन किया और उसका चयन किया गया और उसके बाद उसे 31.01.2019 को नगर पंचायत बाबूगढ़, जिला हापुड़ में कार्यकारी अधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिए मुक्त कर दिया गया, इसके बाद 05.07.2023 को राज्य सरकार द्वारा एक सामान्य आदेश पारित किया गया, जिसमें याचिकाकर्ता और नगर पंचायत में कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यरत कई समान स्थिति वाले व्यक्तियों को निरस्त जारी रखा गया. उक्त सीमा तक एक और आदेश 07.07.2023 को पारित किया गया, रिट याचिकाकर्ता उसी पसंदीदा रिट-ए संख्या के विरुद्ध व्यथित था. 2023 का 11275 जो प्रमुख रिट याचिका के साथ जुड़ा हुआ था, वह 2023 का रिट-ए नंबर 11172 था जिसे 18.01.2024 को निरस्त कर दिया गया उत्तर प्रदेश राज्य के अवध क्षेत्र में काम करने वाले समान स्थिति वाले व्यक्तियों ने भी उक्त आदेशों पर सवाल उठाते हुए रिट याचिका को प्राथमिकता दी, जो रिट-नंबर है 2023 की धारा 4926 के साथ-साथ अन्य रिट याचिकाएं जिन्हें 16.04.2024 को इस न्यायालय की लखनऊ पीठ द्वारा अनुमति दी गई, जिसके निरस्त

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



2024 की विशेष अपील संख्या 175 (यूपी राज्य प्रधान सचिव शहरी विकास विभाग लखनऊ और 2 अन्य के माध्यम से. मुत्रा कुमार पासी और 25 अन्य) के साथ-साथ 3 अन्य विशेष अपीलों को प्राथमिकता दी गई, हालांकि 21.11.2024 को विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश को निरस्त करने की अनुमति दी गई. हालांकि, परिच्छेद संख्या 67 में. निम्नलिखित को निम्नानुसार देखा गया

“67 उपरोक्त चर्चाओं के आलोक में, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि रिट याचिकाकर्ताओं को तब तक सेवा जारी रखने का लाभ नहीं दिया जा सकता था जब तक कि सभी नियमित रिक्तियां भर नहीं जातीं, इसलिए, दिनांक 16.04.2024 का निर्णय उस सीमा तक टिकाऊ नहीं है और तदनुसार इसे निरस्त किया जाता है. आगे यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि रिट याचिकाकर्ता दिनांक 07.07.2023 के विवादित आदेशों के अनुसरण में अपने मूल विभाग में सम्मिलित होते हैं, उन्हें आज से तीन सप्ताह के भीतर ऐसा करने की अनुमति दी जाएगी और उन्हें काम न करने के आधार पर वेतन देने से इनकार करने के लिए उनके साथ काम न करने जैसा व्यवहार नहीं किया जाएगा, कोई वेतन नहीं.”

3. यहां रिट याचिकाकर्ता द्वारा पसंद की गई विशेष अपील में लखनऊ में विशेष अपीलीय पीठ द्वारा पारित आदेश के आलोक में, 2024 की विशेष अपील संख्या 122 में भी यही आदेश पारित किए गए, जिनमें प्रमुख अपील 2024 की विशेष अपील (दोषपूर्ण) संख्या 276 थी, इसके बाद 03.12.2024 को रिट याचिकाकर्ता ने तीन सप्ताह की अवधि के भीतर प्रत्यावर्तित स्थान में सम्मिलित होने की दी गई स्वतंत्रता को देखते हुए, 23.12.2024 को रिट याचिकाकर्ता ने इसमें सम्मिलित होने के लिए निविदा जारी की. हालांकि, याचिकाकर्ता को इसमें सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी गई और उसके बाद खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, यूपी के आयुक्त द्वारा 14.10.2025 को आदेश पारित होने के बाद 17.10.2025 को इसमें सम्मिलित होने का प्रस्ताव दिया गया. हालांकि 25.10.2025 को अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (वित्त और राजस्व), जिला फिरोजाबाद ने स्थानीय निकायों से निदेशक कार्यालय से राहत आदेश मांगा, उसके बाद याचिकाकर्ता ने 30.10.2025 को जवाब प्रस्तुत किया, उसके बाद 12.11.2025 को फिर से याचिकाकर्ता को राहत आदेश प्रस्तुत करना आवश्यक था उस संबंध में आदेश जिसके संबंध में याचिकाकर्ता ने राहत आदेश जारी करने के लिए 21.11. 2025 को अतिरिक्त आयुक्त खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग, यूपी, लखनऊ के समक्ष अपना मामला प्रस्तुत किया।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



4. याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि यद्यपि याचिकाकर्ता आपूर्ति निरीक्षक के पद पर कार्यरत है, किन्तु तीसरे प्रतिवादी, अतिरिक्त आयुक्त द्वारा राहत आदेश जारी नहीं किया गया है, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, यूपी, लखनऊ और इसके अलावा उन्हें 07.07.2023 से आज तक वेतन का भुगतान नहीं किया गया है।

5. वर्तमान याचिका में प्रार्थना यह है कि प्रतिवादियों को क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी के पद पर पदोन्नति के लिए याचिकाकर्ता के दावे पर विचार करने तथा दस वर्ष पूरे होने के बाद वर्ष 2024 में एसीपी प्रदान करने का निर्देश दिया जाए।

6. विद्वान स्थायी अधिवक्ता का कहना है कि रिट याचिकाकर्ता के दावे पर प्रथम दृष्ट्या तीसरे प्रतिवादी द्वारा निर्णय लिया जाना आवश्यक है।

इस तरह के निवेदन पर याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है और वह इसे विनम्रतापूर्वक स्वीकार करते हैं।

8. प्रतिद्वंद्वी दलों की दलीलों तथा उनके द्वारा अपनाए गए रुख पर विचार करते हुए, रिट याचिका का निस्तारण किया जा रहा है, जिससे रिट याचिकाकर्ता को तीसरे प्रतिवादी के समक्ष रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति के साथ एक व्यापक प्रतिनिधित्व को प्राथमिकता देने की स्वतंत्रता मिल गई है, जो दो सप्ताह की अवधि के भीतर इसकी प्राप्ति पर, आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से दो महीने की अवधि के भीतर कानून के अनुसार याचिकाकर्ता के दावे पर सख्ती से निर्णय लेने के लिए आगे बढ़े, यह ध्यान में रखते हुए कि विशेष अपीलीय पीठ द्वारा पारित आदेश का तथ्य दिनांक 25.10.2025 का आदेश और साथ ही उस संबंध में रिट याचिकाकर्ता को प्रस्तुत उत्तर यदि तीसरे प्रतिवादी की राय है कि मामले का निर्णय किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा किया जाना है तो कागजात उसी को प्रेषित कर दिए जाएंगे।

9. यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि रिट याचिका पर प्रतिवादियों से कोई प्रतिक्रिया मांगे बिना ही निर्णय ले लिया गया है. इस प्रकार, इस आदेश के पारित होने को इस अभिव्यक्ति के रूप में नहीं समझा जा सकता है कि यह न्यायालय मामले के गुण-दोष पर विचार कर चुका है।

10. उपर्युक्त टिप्पणी के साथ, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(विकास बुधवार, न्यायमूर्ति)

19 फरवरी, 2026

आशु

Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”